न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–अशोक कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 134/2017

हेतराम पुत्र आदूराम जाति रेगर निवासी गोपलसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री अशोक छाबड़ा, अधिवक्ता अपीलांट
2. पैरोकार राज, नायब तहसीलदार सूरतगढ़

निर्णय दिनांकः–21.09.2020

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 02.08.2008 जिसके द्वारा अपीलांट व उसकी स्व0 माता चीमा देवी को गोपालसर के खसरा न. 170/2 की 2.277 है0 अर्थात 9 बीघा की खातेदारी सनद जारी की गई है, के विरूद्व इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने जरिये अधिवक्ता अपील पेश कर निवेदन किया कि के पिता स्व0 आदूराम पुत्र कुम्भाराम रेगर निवासी गोपालसर को रोही गोपालसर को रोही गोपालसर के खसरा न. 170 में सन 1957–58 में 25.00 बीघा बारानी भूमि अस्थाई तौर पर आवंटित की गई। उपनिवेशन विभाग द्वारा संवत 2017 में सर्वे किये जाने पर अपीलार्थी के पिता आदूराम को रोही गोपालसर के खसरा न. 170 में 17 बीघा का अस्थाई आवंटन दर्ज किया गया। अपीलांट के पिता स्व0 आदूराम का 25 बीघा का सन 1958–59 का अस्थाई आवंटन किसी भी न्यायालय अथवा अधिकारी द्वारा कभी भी खारिज नहीं किया गया। अपीलांट का रोही गोपासलर के खसरा न. 170 में 17 बीघा का अस्थाई आवंटन संवत 2025 अर्थात 1970 तक कायम रहा। संवत् 2026 में अपीलार्थी के पिता स्व0 आदूराम की रोही गोपालसर के खसरा न. 170 की भूमि मिन में विभाजित कर दी गई। अपीलांट को रोही गोपालसर के खसरा न. 170/2 में 12 बीघा का अस्थाई आवंटन दर्ज किया गया। शेष 5 बीघा भूमि अराजी राज दर्ज कर दी गई जबकि अपीलांट आज भी उक्त 17 बीघा भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर रहा है। अपीलांट के पिता का वर्ष 1998 में हो गया तत्पश्चात अपीलांट व उसकी माता चीमा देवी उक्त भूमि पर बतौर जायज वारिस काबिज हुए। वर्तमान में अपीलांट की माता चीमा देवी का भी देहान्त हो चुका है। अपीलांट अपने माता–पिता का एकमात्र वारिस है। अपीलांट अपने पिता आदूराम व माता चीमा देवी की सेवा सुश्रुषा एवं बीमार अवस्था में इलाज में ही लगा रहा। अपीलार्थी को उक्त आदेश की कोई सूचना किसी भी प्रकार से नही मिली। माता चीमा देवी का अब दिनांक 15.11.2017 को देहान्त होने के पश्चात अपीलांट हल्का पटवारी कब्जेशुदा अस्थाई आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार हेतु मिला तो पटवारी हल्का ने बताया कि 9 बीघा भूमि के खातेदारी हक जारी हो चुके है। दिनांक 17.11.2017 को उक्त सूचना मिलते ही अपीलांट द्वारा दिनांक

21/9/20
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

13.12.2017 को अपील पेश कर दी गई। इस प्रकार अपीलांट के पीठ पीछे बिना पूर्व नोटिस/सूचना दिये पारित किया गया है तथा एक तरफा तौर पर पारित आदेश है जो कि प्राकृतिक न्याय व सिद्वान्तों के विपरित पारित किया गया है। इसके साथ अपीलांटस ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक छाबड़ा एवं सरकार की ओर से पैरोकार राज हाजिर आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. योग्य अधिवक्ता अपीलांटस ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के पिता स्व0 आदूराम पुत्र कुम्भाराम रेगर निवासी गोपालसर को रोही गोपालसर के खसरा न. 170 में सन 1957–58 में 25.00 बीघा बारानी भूमि अस्थाई तौर पर आवंटित की गई थी। उपनिवेशन विभाग द्वारा संवत 2017 में सर्वे किये जाने पर अपीलार्थी के पिता आदूराम को रोही गोपालसर के खसरा न. 170 में 17 बीघा का अस्थाई आवंटन दर्ज किया गया। अपीलांट के पिता स्व0 आदूराम का 25 बीघा का सन 1958–59 का अस्थाई आवंटन किसी भी न्यायालय अथवा अधिकारी द्वारा कभी भी खारिज नहीं किया गया। अपीलांट का रोही गोपासलर के खसरा न. 170 में 17 बीघा का अस्थाई आवंटन संवत 2025 अर्थात 1970 तक कायम रहा। संवत् 2026 में अपीलार्थी के पिता स्व0 आदूराम की रोही गोपालसर के खसरा न. 170 की भूमि मिन में विभाजित कर दी गई। अपीलांट को रोही गोपालसर के खसरा न. 170/2 में 12 बीघा का अस्थाई आवंटन दर्ज किया गया, शेष 5 बीघा भूमि अराजी राज दर्ज कर दी गई जबकि अपीलांट आज भी उक्त 17 बीघा भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर रहा है। अपीलांट के पिता का वर्ष 1998 में स्वर्गवास हो गया तत्पश्चात अपीलांट व उसकी माता चीमा देवी उक्त भूमि पर बतौर जायज वारिस काबिज हुए। वर्तमान में अपीलांट की माता चीमा देवी का भी देहान्त हो चुका है। अपीलांट अपने माता–पिता का एकमात्र वारिस है। अपीलांट अपने पिता आदूराम व माता चीमा देवी की सेवा सुश्रुषा एवं बीमार अवस्था में इलाज में ही लगा रहा। अपीलार्थी को उक्त आदेश की कोई सूचना किसी भी प्रकार से नही मिली। माता चीमा देवी का दिनांक 15.11.2017 को देहान्त होने के पश्चात अपीलांट हल्का पटवारी से कब्जेशुदा अस्थाई आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार हेतु मिला तो पटवारी हल्का ने बताया कि 9 बीघा भूमि के खातेदारी हक जारी हो चुके है। दिनांक 17.11.2017 को उक्त सूचना मिलते ही अपीलांट द्वारा दिनांक 13.12.2017 को अपील पेश कर दी गई। इस प्रकार अपीलांट के पीठ पीछे बिना पूर्व नोटिस/सूचना दिये पारित किया गया है तथा एक तरफा तौर पर पारित आदेश है जो कि प्राकृतिक न्याय व सिद्वान्तों के विपरित पारित किया गया है। इसके साथ अपीलांटस ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील स्वीकार फरमाई जावे।

5. पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का गोपालसर की रिपोर्ट अनुसार आदूराम को सम्वत 1958–59 में 9.00 बीघा बीघा भूमि आवंटन हुई थी। उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होने, अस्थाई आवंटन लगातार नवीनीकरण होने व मौका पर वारिसान चीमादेवी व हेतराम का कब्जा होने के कारण श्रीमान आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ ने चीमा देवी व हेतराम को गोपालसर के खसरा न. 170/2 की 9.00 बीघा बारानी भूमि पुख्ता आवंटन कर दी तथा दिनांक 02.8.2008 को उक्त 9.00 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार तहसीलदार, सूरतगढ़ द्वारा जारी कर दिये गये जो सही है।

21/5/20

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

6. योग्य अधिवक्ता एवं पैरोकार राज की बहस पर चिन्तन, मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा अधिनस्थ न्यायालय की संलग्न पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.08.2008 के विरूद्ध दिनांक 13.12.2017 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपीलांटगण द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत करने के कारण अपील के साथ मियाद अधिनियम की दफा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसका खंडन रेस्पों0 द्वारा प्रति शपथपत्र प्रस्तुत कर नहीं किया गया है। इसलिये न्याय हित में प्रा.पत्र मियाद अधिनियम दफा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. अपील के संलग्न अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली सं. 1107/2008 अनुसार आदूराम को तहसील सूरतगढ़ के ग्राम गोपालसर के खसरा न. 170 की 25 बीघा भूमि सन् 1961–62 में अस्थाई आवंटन की गई थी। सम्वत 2017 में उपनिवेशन विभाग द्वारा आदूराम की खसरा न. 170 में 17 बीघा अस्थाई आवंटन पात्रता अनुसार दर्ज की गई। संवत 2026 में आदूराम की रोही गोपालसर के खसरा संख्या 170 की भूमि मिन खसरा न. में विभाजित कर दी गई व खसरा न. 170/2 में 12 बीघा अस्थाई आवंटन दर्ज की गई। अपीलांट ने अपने पिता के देहान्त के बाद आवंटन एवं उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष 9.00 बीघा भूमि को पुख्ता आवंटन का आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर आवंटन एवं उपखण्ड़ अधिकारी द्वारा तहसीलदार सूरतगढ़ से निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा समस्त कार्यवाही पूर्ण करते हुए 9.00 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन कर दी गई जिसके तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 02.08.2008 को खातेदारी अधिकार जारी कर दिये गये। अपीलांट द्वारा जब 9.00 बीघा भूमि बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 9.00 बीघा की ही खातेदारी जारी की गई है, जो कि उचित भी है। अपीलांट के पिता को अस्थाई काश्त पर आवंटित भूमि का उपनिवेशन विभाग द्वारा पात्रता के आधार पर नवीनीकरण किया जाता था। अपीलांट के पिता की जितनी पात्रता थी उतनी ही भूमि का नवीनीकरण किया गया। अपीलांट द्वारा 9.00 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर रिपोर्ट हल्का पटवारी प्राप्त होने पर पुख्ता आवंटन किया गया था तथा तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा 9.00 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार जारी कर दिये गये । अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.08.2008 में किसी प्रकार की त्रुटि नही पाई जाती है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/9/20

(अशोक कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner